

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के प्रस्ताव -
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त हेतु

विवरण राज्य योजना के अन्तर्गत
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में
कंकराड़ी बेंड से किशनपुर तक मोटर का नव
निर्माण हेतु 1.50 किमी० लम्बाई हेतु 1.163 हे०
सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वनभूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं का दर्शाने वाला मैप।

- परियोजना हेतु डिजिटल मानचित्र पर सगरेक्षण
को दर्शाया गया है।

ग) परियोजना की लागत

- 18.90 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने

- मार्ग निर्माण हेतु कोई अन्य विकल्प न होने के
कारण सामीपों के यातायात सुविधा हेतु उक्त भूमि का
चयन किया गया।

ङ) लागत लाभ वित्त लेखा (संलग्न किये
जाने के लिए)

- 5.00 हे० से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
सम्भावना है।

- लगभग 9000 मानव दिवरा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

- परियोजना हेतु डमिंग सहित सिविल सोयम
वन भूमि 1.163 हे० मोटर मार्ग निर्माण में प्रयोग
की जायेगी।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण यदि कोई है

- उक्त निर्माण कार्य से कोई भी
परिवार प्रभावित नहीं होगा।
नहीं है

क) परिवारों की संख्या

- नहीं है

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के

परिवारों की संख्या

- नहीं है

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं) — हाँ
5. प्रशिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचन और या दम्पट स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयारी की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। — संलग्न है।

दिनांक 23-12-16

स्थान - उत्तरकाशी


अधिसारी अभियन्ता
वाल्मार्क, लोडनिगिड,
भुटनाली, उत्तरकाशी।

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है
वया द्वारा सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-III में दी गयी
शूना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

भाग-IV

(मोडल अधिवक्ता अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- **राज्य सरकार की सिफारिश**
(उपर्युक्त भाग- I। या भाग- I।। या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियाँ पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर